



प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 11 जून, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी तरसेम सिंह पुत्र श्री निक्का सिंह, निवासी जनपद-पीलीभीत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-36096/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-01.09.2025, दिनांक 15.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी तरसेम सिंह पुत्र श्री निक्का सिंह, जो पिपरिया करम, थाना-गजरौला, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। बन्दी द्वारा खेत के विवाद को लेकर दिनांक 03.07.2000 को दो नाली लाइसेंसी बन्दूक से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-48/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, पीलीभीत के आदेश दिनांक 04.10.2018 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 13.04.2022 तक अपरिहार 08 वर्ष, 10 माह 09 दिन तथा सपरिहार 09 वर्ष, 10 माह, 26 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजन द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्गत शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92, दिनांक 13.04.2005 में प्राविधानित बिन्दुओं पर सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या प्राप्त किया गया। पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी होने, किन्तु भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी तरसेम सिंह पुत्र श्री निक्का सिंह की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा पुनर्विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 13.04.2022 तक बन्दी की 69 वर्ष, 06 माह की आयु एवं मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 13.04.2022 तक अपरिहार 08 वर्ष, 10 माह 09 दिन तथा सपरिहार 09 वर्ष, 10 माह, 26 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी दिनांक 13.04.2022 से जमानत मुचलके पर रिहा होने एवं पुलिस अधीक्षक / जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तरसेम सिंह (बन्दी संख्या-48156) पुत्र श्री निक्का सिंह, निवासी जनपद-पीलीभीत की 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-742/2026/2031(1)/22-2-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
- 2- पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत।
- 3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
- 4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
- 5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।